



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1298]  
No. 1298]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 2012/आषाढ़ 19, 1934  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2012/ASADHA 19, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2012

का.आ. 1539(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 223(अ), तारीख 18 मार्च, 2011 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद और हैदराबाद के क्षेत्रीय निदेशकों को, इस शर्त के अधीन रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहत कर सकेगी या निम्नलिखित धाराओं के अधीन, स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी, यदि उसको राय में लोकहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं के अधीन उसमें निहित शक्ति और कृत्यों का प्रत्यायोजन करती है, अर्थात् :—

- (क) धारा 17, धारा 18, धारा 19,
- (ख) धारा 22,
- (ग) धारा 224 की उप-धारा (3), उप-धारा (4), उप-धारा (7), और उप-धारा (8) का खंड (क),
- (घ) धारा 141,
- (ङ) धारा 188,
- (च) धारा 297(1) परंतुक,
- (छ) धारा 394-क,

- (ज) धारा 400,
- (झ) धारा 439 की उप-धारा (5) का दूसरा परंतुक और उक्त धारा की उप-धारा (6),
- (ञ) धारा 496 की उप-धारा (1) का खंड (क),
- (ट) धारा 508 की उप-धारा (1) का खंड (क),
- (ठ) धारा 551 की उप-धारा (1),
- (ड) धारा 555 की उप-धारा (7) का खंड (ख) और उक्त धारा की उप-धारा (9) के खंड (क) का परंतुक,
- (ढ) धारा 610 की उप-धारा (1) का परंतुक, और
- (ण) धारा 627,

2. यह अधिसूचना 12-8-2012 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/1/2003-सौएल. वी.]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2012

S.O. 1539 (E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India, in the then Department of Company Affairs, number G.S.R. 223(E), dated the 18th March, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at

Mumbai, Kolkata, Chennai, Noida, Ahmedabad and Hyderabad, the power and functions vested in it under the following sections of the said Act, subject to condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest, namely :—

(a) sections 17, 18, 19,

(b) section 22,

(c) sub-sections (3), (4), (7) and clause (a) of sub-section (8) of section 224,

(d) section 141,

(e) section 188,

(f) section 297(1) proviso,

(g) section 394-A,

(h) section 400,

(i) second proviso to sub-section (5) of section 439 and sub-section (6) of the said section,

(j) clause (a) of sub-section (1) of section 496,

(k) clause (a) of sub-section (1) of section 508,

(l) sub-section (1) of section 551,

(m) clause (b) of sub-section (7) of section 555 and the proviso to clause (a) of sub-section (9) of the said section,

(n) proviso to sub-section (1) of section 610, and

(o) section 627,

2. This notification shall come into force with effect from 12th August, 2012.

[F.No. 1/1/2003-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.